सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 382 राँची, बुधवार, 17 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई, 2023

संख्या- 01/म.स./नियमावली-422/2021-2129--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त नियमावली-2006 यथा संशोधित नियमावली, 2011 एवं झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली, 2021 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

(i) यह नियमावली "झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023" कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत होगा।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-2230, दिनांक-29.11.2021 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2021 की नियम-2 में अंकित प्रावधान को निम्न रूपेन प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	**संशोधित प्रावधान**
झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्त्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली- 2006 के भाग 2 के कंडिका 4 (ख) अन्तर्गत सांख्यिकी सहायक पद हेतु प्रावधान को निम्नरुपेण अंतःस्थापित किया जाता है - 4 (ख) सांख्यिकी सहायक- (i) यह पद शत- प्रतिशत सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जाएगा। (ii) गणित या सांख्यिकी विषयों के साथ स्नातक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक/ 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10$2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10$2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। (iii) संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली-2017 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी। (iv) यह पद जिला स्तरीय कोषांग तथा परियोजना कार्यालय में होगा। पद प्रमण्डलीय संवर्ग का होगा।	4 (ख) सांख्यिकी सहायक- (i) यह पद शत- प्रतिशत सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जाएगा। (ii) गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र विषयों के साथ स्नातक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। (iii) संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली के संदर्भ में अद्यतन समय प्रवृत्त संचालन नियमावली के आलोक में की जायेगी। (iv) यह पद जिला स्तरीय कोषांग तथा परियोजना कार्यालय में होगा। पद प्रमण्डलीय संवर्ग का होगा।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-2230, दिनांक-29.11.2021 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली, 2021 की नियम-3 में अंकित प्रावधान को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी कर्मचारी भर्त्ती तथा सेवा शर्त नियमावली, 2006 के भाग 2 के कंडिका 4 (ड़) (i) अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक पद हेतु प्रावधान को निम्नरुपेण अंतःस्थापित किया जाता है - 4 (ड़) (i) (a) निम्नवर्गीय लिपिक के पद को 50% सीधी नियुक्ति तथा 50% पद पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। (i) (b) सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति हेतु न्युनतम शैक्षणिक एवं अन्य अहर्त्ता इंटरमीडिएट/10$2 स्तर उत्तीर्ण एवं हिन्दी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट (दो प्रतिशत त्रुटि सहित) होगी। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा भी झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हों तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/ 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10$2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। परन्तु यह कि अनुकम्पा नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी। (i) (c) सीधी भर्त्ती हेतु संदर्भाधीन पदों पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10$2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली-2017 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10$2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर	4 (ड़) (i) (a) निम्नवर्गीय लिपिक के पद को 85% सीधी नियुक्ति तथा 15% पद पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। (i) (b) सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति हेतु न्युनतम शैक्षणिक एवं अन्य अहर्त्ता इंटरमीडिएट/10$2 स्तर उत्तीर्ण एवं हिन्दी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट (दो प्रतिशत त्रुटि सहित) होगी। (i) (c) संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली के संदर्भ में अद्यतन समय प्रवृत्त संचालन नियमावली के आलोक में की जायेगी। (i) (d) यह पद जिला स्तरीय कोषांग तथा परियोजना कार्यालय में होगा। पद प्रमण्डलीय संवर्ग का होगा।

में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021'' के प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।	

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-493, दिनांक-22.05.2006 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त्त नियमावली, 2006 के नियम-9 में अंकित प्रावधान को निम्न रूपेन प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
9. परीवीक्षा - इसके लिए राज्य सरकार के विद्यमान नियम प्रभावी होंगे।	9. परीवीक्षा अवधि - (a) सांख्यिकी सहायक हेतु परीवीक्षा अवधि 02 वर्षों की होगी। (b) निम्नवर्गीय लिपिक हेतु परीवीक्षा अवधि 02 वर्षों की होगी। (c) जीप चालक हेतु परीवीक्षा अवधि 02 वर्षों की होगी। (d) आदेशपाल हेतु परीवीक्षा अवधि 02 वर्षों की होगी।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या-493, दिनांक-22.05.2006 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त्त नियमावली, 2006 के नियम-10 में अंकित प्रावधान को निम्न रूपेन प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
10. स्थायीकरण- यह बिन्दु राज्य सरकार में विद्यमान नियमों से विनियमित होगा।	10. सेवा सम्पुष्टि - (a) सांख्यिकी सहायक हेतु सेवा सम्पुष्टि- (i) आयोग द्वारा चयनित होकर नियुक्त सांख्यिकी सहायक को एक वर्ष तक सांख्यिकी निदेशालय या जिला सांख्यिकी कार्यालयों में सांख्यिकी एवं तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। (ii) सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारुपण की परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। (iii) परीक्ष्यमान अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेवा में सम्पुष्टि किया जा सकेगा तथा लगातार दो वर्षो की सेवा में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न होने पर सेवा में सम्पुष्टि किया जा सकेगा।

	(b) निम्नवर्गीय लिपिक हेतु सेवा सम्पुष्टि- परीवीक्षा अवधि पूर्ण करने एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पणी प्रारुपण परीक्षा एवं जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी। (c) जीप चालक हेतु सेवा सम्पुष्टि- परीवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा अधिसूचित झारखण्ड वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा सेवा शर्तें) नियमावली के संदर्भ में अद्यतन समय प्रवृत्त संचालन नियमावली के अनुसार सेवा सम्पुष्ट की जायेगी। (d) आदेशपाल हेतु सेवा सम्पुष्टि- परीवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा अद्यतन समय प्रवृत्त नियम के अनुसार सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

6. झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त्त नियमावली- 2006 यथा संशोधित नियमावली, 2011 एवं झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2021 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।
7. उक्त पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक- 25.07.2023 की बैठक के मद सं0-05 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 382 - 50